



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1947 (श0)

(सं0 पटना 1448) पटना, मंगलवार, 2 सितम्बर 2025

गृह विभाग  
अभियोजन निदेशालय

अधिसूचना  
22 अगस्त 2025

सं० अ०नि० (01) 02/2024 स्था० 1807—सहायक अभियोजन पदाधिकारी, प्रतियोगिता परीक्षा, विज्ञापन संख्या-01/2020 के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 8/वि०प्र०-02-01/2015 (77) लो०से०आ०/गो० दिनांक 05.01.2024 द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी श्री मुन्शाद, मेघा क्रमांक-70, अनुक्रमांक 100158, कोटि-सामान्य, जन्म तिथि-11.04.1987, पिता-श्री जीशान अली के पत्राचार का पता-वी०पी०ओ० गरही बेसिक, जिला-पानीपत (हरियाणा), पिन-132103 को बिहार अभियोजन सेवा के मूल कोटि सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-9 एवं समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए जिला अभियोजन कार्यालय, जहानाबाद में पदस्थापित किया जाता है।

2. इनकी सेवा बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के अधीन होगी।

3. बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के नियम-50 से 57 के अनुसार इनके बुनियादी/व्यवहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

4. यह नियुक्ति श्री मुन्शाद द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

5. यह नियुक्ति श्री मुन्शाद द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के सम्बन्ध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

6. श्री मुन्शाद की नियुक्ति राज्य में दिनांक 01.09.2005 से लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होगा।

7. श्री मुन्शाद अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर जिला अभियोजन कार्यालय, जहानाबाद में योगदान समर्पित करेंगे।

8. श्री मुन्शाद को अपने आवंटित कार्यालय में योगदान समर्पित करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में विरमण आदेश/त्यागपत्र स्वीकृति आदेश समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से  
सुधांशु कुमार चौबे,  
विशेष सचिव-सह-प्रभारी निदेशक।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1448-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>